बाल मंच
एक संपनों का सफर

February- 2020

Mustaque Ahmad

Bal Manch
"ROSA" VARANASI

क्रमाक संख्या	संकेतांक	पृष्ठ सं0
01	संस्था के बारे में	03
02	काई के साथ संस्था का जुड़ाव	05
03	परियोजना के बारे में	05
04	कार्यक्षेत्र की सामान्य जानकारी	05
05	बाल समूह की वर्तमान स्थिति	08
06	किशोरी समूह की वर्तमान स्थिति	09
07	बाल समूह के दिशा में गैप	10
08	बाल मंच पंचवर्षीय सपना निर्माण	11
09	बाल मंच के हस्तक्षेप की कार्यनीति	11
10	बाल मंच के प्रमुख मुददे	12
11	सदस्यता	12
12	समूह की बैठके	13
14	बाल मंच का ढ़ाचा	14
15	बाल मंच का कोष	16
16	समूह का ढ़ाचा	17
17	समूह के लीडर का चयन	17
18	समूह के लीडर की भूमिका	18
19	समूह की गतिविधियां	18
20	समूह में खेल गतिविधियां	18
21	समूह के बैठक में कार्यकर्ता की भूमिका	19
22	समूह में संस्था की भूमिका	19
23	गोपनीयता	20
24	समूह का सरकारी योजनाओ के साथ जुड़ाव	20
25	समूह का शिक्षा विकास के साथ जुड़ाव	21
26	समूह के सदस्यों का राष्ट्र निर्माण के कार्यो में सहभागिता	22
27	बाल मंच में नीतियो की समीक्षा	22

संस्था के बारे में!!!!

रूरल आर्गनाइजेशन फार सोसल एडवांसमेंट, जिसे रोजा संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह एक सामाजिक संस्था है जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेष में कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य लक्ष्य समुदाय का वह वर्ग है जो वर्षो से विभिन्न समाज व जातियों में बटा हुआ है, जो समाज के वंचित तबको का है चाहे व किसी भी धर्म व जाति का हो जिसमें बच्चे, महिलायें, युवा व किसान सामिल है। जो अपने स्तर से अपनी आजीविका व मूलभूत आवश्यकताओं व अधिकारों के लिये प्रयास कर रहा है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण उसका सम्मानपूर्ण विकास नही हो पा रहा है।

समाज सेवा से वर्षो से जुड़े गांधीवादी विचार के सदस्यों ने रोजा संस्थान की नीव सन 2002 में डाली। यह संस्था सन 2003 में सोसाइटी रजिस्ट्रशन के अन्तर्गत पंजीकृत है।

<u>हमारा विजनः–</u>

सामाजिक उन्नति।

<u>हमारा मिशनः–</u>

समग्रता में सामाजिक उन्नति के लिये लोगों को जागरूक करना व उन्हे साझा प्रयासों के लिये प्रेरित करना तकि वे अपने विकास को सुनिश्चित कर सकें।

<u>हमारा मूल्यः–</u>

समाज के हर स्तर पर एक दूसरे का सम्मान, समानता का भाव, समान अवसरों की उपलब्धता, विकास कार्यो में पारदर्शिता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, स्व अनुशासन व जिम्मेदारी।

<u>हमारा सिद्धान्तः–</u>

हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये सभी धर्मो, जातियों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के आधार पर एक दूसरे का सम्मान व प्रत्येक स्तर पर बिना किसी लैगिक भेदभाव के सभी को समान अवसर। हम मानते है कि लोगों की सहायता इस प्रकार से किया जाये कि वे अपनी सहायता स्वयं कर सके।

कार्यनीतिः–

हर स्तर पर लोकतात्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अहिंसा के रास्ते सामूहिक निर्णय व सामूहिक पहल पर बल।

हमारा दायराः–

भारत के संविधान में निहित शक्तियों के अन्तर्गत एक सामाजिक संस्था।

हमारा विश्वासः–

समाज का समग्र विकास और एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण तभी सम्भव है जब समाज का हर व्यक्ति खुशहाल हो।

हमारा कार्यक्षेत्रः–

भारत वर्ष।

लक्ष्य समूहः–

वंचित समाज के बच्चे, महिलायें, युवा, पुरूष, व किसान।

फोकस समूहः–

ग्रामीण परिवेश के वंचित समाज के अति गरीब वर्ग के लोग।

यह संस्था सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने के साथ उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में विगत 17 साल से सामाजिक रूप से कमजोर तबको के उन्नति के लिये कार्यरत है। जिसमें महराजगंज, चन्दौली और आजमगढ़ है। संस्था सामाजिक उन्नति के लिये बाल विकास, कृषि विकास, किशोरी सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन के साथ ही साथ मजदूर तबकों के सर्वागीण विकास के लिये तमाम गतिविधियां संचालित करती है।

संस्था ने जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के 25 गांवों में बाल अधिकारो के मुददे पर भारत मे कार्य करने वाली संस्था ''चाइल्ड राइट एण्ड यू'', नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य व पोषण के मुददे पर अप्रैल 2017 से कार्य कर रही है। संस्था 1000 दिन देखभाल के मुददे पर तीन केन्द्रो के माध्यम से मातृ व बाल देखभाल का कार्य भी कर रही है।

काई के साथ संस्था का जुड़ाव

रोसा संस्था का जुड़ाव काई– चाइल्ड राइट एण्ड यू, नई दिल्ली के साथ फरवरी 2008 में हुआ। संस्था के साथ काई ने बाल अधिकार परियोजना का संचालन जिला आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां के 10 गावों से प्रारम्भ किया। संस्था द्वारा परियोजना का सफल संचालन करते हुये अपेक्षित मानको को प्राप्त किया और परियोजना के प्रयासो को मार्च 2017 में आजमगढ़ में विराम देते हुये काई के सहमति से जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के 16 गावों में अप्रैल 2017 से परियोजना के प्रयासों का संचालन किया जाने लगा।

परियोजना के बारें में–

संस्था ने जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के इस परियोजना में कुल 1888 जरूरत मंद परिवारों का चयन बेस लाइन सर्वे के माध्यम से किया। जिसमें समाज के महा दलित, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारो को फोकस किया गया। परियोजना के अन्य पहलूओं का विवरण इस प्रकार से है–

- Total Gram Panchayat- 08
- Total Villages- 16
- Total hamlets - 37
- Total target families covered - 1888
- Total population covered - 8582
- Total population coverage- 21446 as per censes 2011
- Musahar hamlets covered - 10
- Total Musahar families covered - 341 (18%)
- Total ICDS center covered - 20
- Sub Center covered - 03
- PHC covered -01

कार्यक्षेत्र की सामान्य जानकारी

दिसम्बर 2019 के आधार पर सामान्य जानकारी इस प्रकार से है–

No. of villages/ slums	**Total**	**16**
No. of Blocks/ Wards	Total	1
No. of Districts	Total	1
Child population		
0 to 1 Years	**Total**	**135**
M	Male	68

F	Female	67
above 1 to 3 Years	**Total**	**438**
M	Male	221
F	Female	217
3 to 5 Years (under 6 Yrs)	**Total**	**531**
M	Male	239
F	Female	292
6-14 Years	**Total**	**2,045**
M	Male	1,065
F	Female	980
15-18 Years	**Total**	**792**
M	Male	433
F	Female	359
Total Child Population	**Total**	**3,941**
M	Male	**2,026**
F	Female	**1,915**
Total no. of Households	**Total**	**1,888**
No. of SC Households		1,316
No. of ST Households/NTDNT		14
No. of OBC Households		413
No. of General caste Households		3
No. of Minority Households		142
Total adult population	Total	4,653

संस्था द्वारा 2020 के हस्तक्षेप सत्र में गावों की संख्या 16 से बढ़ाकर 22 तक करने की योजना है। इसके लिये पहल किया जा रहा है। इस प्रयास से परियोजना के लक्ष्य बच्चो की संख्या में वृद्धि होगी और परियोजना की पहुच अधिक बच्चो तक हो सकेगी।

<u>परियोजना का कार्यक्षेत्रः–</u>

दिसम्बर 2019 तक की वर्तमान स्थिति इस प्रकार से हैः–

Sl No.	Name of Gram Panchayat / Ward	Name of Village/Slum	Name of Hamlet
1	Ganeshpur	Ganeshpur	Dalit basti
2	Ganeshpur	Ganeshpur	Bind basti-1
3	Ganeshpur	Ganeshpur	Bind basti-2
4	Ganeshpur	Ganeshpur	Musher basti
5	Ganeshpur	Ganeshpur	Rajbhar basti
6	Ganeshpur	Ganeshpur	Pradhan basti
7	Ganeshpur	Ganeshpur	Nayi basti
8	Mahadevpur Kala	Mahadevpur Kala	Mahadevpur Kala
9	Mahadevpur Kala	Mahadevpur Kala	Khochwa
10	Mahadevpur Kala	Mahadevpur khurda	Mahadevpur khurda

11	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Majhhali patti
12	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Dasra
13	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Dibari
14	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Adariya
15	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Chherai
16	Puranadih	Prabhunarayanpur	Pakwa
17	Puranadih	Kunda Hemaiya	Kunda Hemaiya
18	Puranadih	Talara	Talra
19	Direhun	Direhun	Baira purani basti
20	Direhun	Direhun	Baira Nai basti
21	Direhun	Direhun	Pahadi basti
22	Direhun	Dorhapur Khalsa	Dorhapur Khalsa
23	Firozpur	Firozpur	Sitabe
24	Firozpur	Firozpur	Pandepur
25	Firozpur	Firozpur	Pal basti
26	Firozpur	Taktakpur	Taktakpur
27	Newajganj	Newajganj	Muslim basti
28	Newajganj	Chandi Akil	Chandi Akil
29	Newajganj	Chandi Jhhadu	Chandi Jhhadu
30	Bhikhampur	Bhikhampur	Dalit basti East
31	Bhikhampur	Bhikhampur	Dalit basti South
32	Bhikhampur	Bhikhampur	Musher basti
33	Bhikhampur	Bhikhampur	Nashirganj
34	Bhikhampur	Bhikhampur	Paswan basti
35	Bhikhampur	Kadirganj	Jangal Banjari
36	Bhikhampur	Kadirganj	Madiyawa
37	Bhikhampur	Bandevi	Bandevi

परियोजना का कार्यालयः–

परियोजना कार्यालय
रोजा संस्थान
केयर आफ श्री कैलाश प्रसाद
दिरेहू रोड, प्रभात सिनेमा के सामने, चकिया, चन्दौली

परियोजना के सीएमसी केन्द्रः–

1. नेवाजगंज, चकिया, चन्दौली।
2. दिरेहू, चकिया, चन्दौली।
3. भीषमपुर, चकिया, चन्दौली।

बालक समूह की वर्तमान स्थितिः–

परियोजना के क्षेत्र में बालक समूह का गठन संस्था द्वारा अलग से किया गया है। जिसमें केवल बालक वर्ग के सदस्य है। इसमें 06 साल से 14 साल तक के बालक सम्मिलित किये गये है। गांववार दिसम्बर 2019 की स्थिति इस प्रकार से हैः–

क्र.	बाल समूह का नाम	गाँव	पुरवा	सदस्यों की संख्या
1	Sahara	Ganeshpur	Bind Basti	16
2	Sachin	Bhishampur	Nashirganj	16
3	Ujala	Ganeshpur	Banbasi Basti	11
4	Ujjval	Ganeshpur	Dalit Rajbhar Bastii	15
5	Ujjval	Direhu	Baira Nayi Bast	10
6	Balbeer	Direhu	Baira Purani Basti	13
7	Vaseeyat	Mahadevpur Kala	Kala	16
8	Vishvas	Mahadevpur Kala	Khonchava	15
9	Avishkar	Mahadevpur Khurd	Khurd	13
10	Etihas	Kundahemaiya	Kundahemaiya	16
11	Adhikar	Talra	Talara	20
12	Bahadur	Prabhunarayanpur	Pakva	21
13	Takatvar	Mujaffarpur	Adari	23
14	Prakash	Mujaffarpur	Dibari	23
15	Deepak	Mujaffarpur	Usara	25
16	Sagharsh	Mujaffarpur	Badi Basti	22
17	Balvan	Chadi Akil	Chadi akil	18
18	Dabang	Chadi Jhadu	Chadi Jhadu	14
19	Aman	Firojpur	Sitabe	22
20	Prakash	Firojpur	Pandepur	11
21	Akash	Firojpur	Pal Basi	22
22	Raj	Taktakpur	Taktakpur	13
23	Ujala	Dodapur	Dodapur Pahadi Basti	14
			Total	**379**

किशोरी समूह की वर्तमान स्थितिः–

परियोजन कार्यक्षेत्र में किशोरी समूह का गठन अलग से किया गया है। इसमें केवल बालिका वर्ग ही सदस्य है। जिसमें 11 से 18 साल की बालिकायें सम्मिलित है। गांववार दिसम्बर 2019 में किशोरी समूह की स्थिति इस प्रकार से हैः–

क्र.	किशोरी समूह का नाम	गाँव	पुरवा	संख्या
1	Sandhya	Ganeshpur	Bind Basti	19
2	ArchnA	Ganeshpur	Dalit Rajbhar Basti	12
3	Sapana	Firojpur	Pandeypur	12
4	Ujjval	Bhishampur	Nasirganj	16
5	Archna	Firojpur	Sitabe	15
6	Kalpna	Direhi	Baira Nayi Basti	10
7	Kamna	Direhi	Baira Purani Basti	11
8	Andaj	Mahadevpur Kala	Mahadevpur Kala	17
9	Chamatkar	Mahadevpur KalaMahadevpur Kala	Khonchava	20
10	Jigyasa	Mahadevpur Khurd	Mahadevpur Khurd	18
11	Ashirbad	Kunda Hemaiya	Kunda Hemaiya	16
12	Baibhav	Talara	Talara	15
13	Kamyabi	Prabhunarayanpur	Pakva	11
14	Sankalp	Chadi Akil	Chadi Akil	13
15	Jagriti	Mujaffarpur	Adari	18
16	Ujala	Mujaffarpur	Dibari	13
17	Jagriti	Mujaffarpur	Badi Basti	14
18	Sahara	Mujaffarpur	Usara	14
19	Roshani	Firojpur	Pal Basti	13
20	Ekta	Taktakpur	Taktakpur	20
			Total	**287**

समूह की बैठकेः–

बालक और बालिका समूह के स्तर पर गांवों में मासिक बैठकें अलग अलग आयोजित की जाती है। इन बैठकों में परियोजना के कार्यकर्ता सहजकर्ता के रूप में भागीदारी करतें है। मासिक बैठकों में परियोजना के प्लान के आधार पर मुददे पर बात की जाती है।

किशोरी बालिकायें जिनकी आयु 15 से 18 साल है उनके साथ विशेष मुददे पर बैठके की जाती है जिसमें परियोजना से महिला कार्यकर्ता और गांव स्तर के सीएचएम/आशा आदि के द्वारा विशेष आयु में स्वास्थ्य व पोषण के मुददे पर आधारित चर्चाये की जाती है।

समूह के दस्तावेजः–

बालक समूह और किशोरी समूह के स्तर पर एक एक बैठक की कार्यवाही रजिस्टर है जिसमें मासिक बैठको में किये गये चर्चा को लिखा जाता है।

समूह के लीडरः–

बालक और बालिका समूह के स्तर पर समूह के नेतृत्व के लिये बालक और बालिका समूह में एक अध्यक्ष और एक सचिव का चयन है। जिनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने समूह को नेतृत्व प्रदान करे।

बाल समूह के दिशा में गैपः–

परियोजना स्तर पर बाल समूह के कार्यक्रम में निम्नलिखित गैप समझ में आता हैः–

1. दूरगामी प्रभाव के प्रति समझ की कमी।
2. साल दर साल के परिणामों के प्रति स्पष्टता का न होना।
3. समूह के ढ़ाचागत स्थितियों का स्पष्ट न होना।
4. दूरगामी हस्तक्षेप की दिशा का स्पष्ट न होना।
5. बालक और बालिका समूह के समन्वयन के प्रति स्पष्ठता का न होना।
6. बालक व बालिका समूह के हस्तक्षेप व परिणामों के प्रति एक दूसरे समूह को जानकारी का न होना।
7. ब्लाक व जिला स्तर पर बच्चो के पहल और उनके मुददे के प्रति साझी समझ व साझाी प्रयासों का न होना।
8. बालक, बालिका, कार्यकर्ता आदि के स्तर पर भूमिका स्पष्ठ न होना।
9. ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लाक व जिला स्तर पर विकास के अन्य हितभागियों के साथ समन्वयन का न होना।
10. बच्चो के विकास क्रम मे राज्य व केन्द्र स्तरीय योजनाओं/कार्यक्रमों में बच्चो के भागीदारी के प्रति स्पष्ठता का न होना।
11. परियोजना स्तर पर बाल विकास की विस्तृत रूपरेखा का न होना।

बाल मंच पंचवर्षीय सपना निर्माण

बाल मंच का लक्ष्यः–

- बाल अधिकारों तक बच्चो की पहुच।

बाल मंच का उदेश्यः–

- बच्चो को विकास के अधिकार की सेवाओ की जानकारी प्रदान करना ताकि बच्चे आपने जीवन, विकास और संरक्षण को प्राप्त कर सके।
- बच्चो को समूह के माध्यम से एक मंच प्रदान करना ताकि बच्चे अपने बाल मन को एक दूसरे बच्चे के साथ साझा कर सके।
- बच्चो के अन्तः संचार कौशल का विकास करना ताकि बच्चे अपनी बात साकारत्मक दृष्टि से समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सके।
- बच्चों में जीवन कौशल का विकास करना ताकि बच्चो का भावी जीवन सफलताओं से भरा हो।
- बच्चो की विकास में सहभागिता कराना ताकि बच्चे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सके।

बाल मंच मे हस्तक्षेप की कार्यनीतिः–

भारतीय संविधान के दायरें में समाज के महा दलित, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चो के सर्वागीण विकास के लिये निम्नलिखित कार्यनीति होगी–

- बच्चो को इस प्रकार से सहयोग करना ताकि बच्चो को अपने गुणों को प्रस्तुत करने में संकोच न हो।
- बच्चो को इस प्रकार से सहज करना कि बच्चो के मन में डर का भाव न हो।
- बच्चो को इस प्रकार से मदद करना ताकि वे अपने क्षमताओं का खुलकर उपयोग कर सके।
- बच्चो का सहभागिता इस प्रकार से कराना ताकि बच्चे सुरक्षित अनुभव करें।
- बच्चो के साथ इस प्रकार का व्यावहार करना ताकि बच्चों के अभिभावक संतुष्ठ होकर सहयोग कर सके।
- बच्चो के नजरियें से विकास की परिकल्पना निर्माण करने में सहयोग करना और उसे साकारात्मक दिशा प्रदान करना।
- बच्चो को गतिविधियों से इस प्रकार से जोड़ना ताकि वे उनमें सहजता का भाव उत्पन्न हो सके।

बाल मंच परियोजना स्तर पर बालक समूह, बालिका समूह और किशोरी समूह का संयुक्त मंच होगा जो बाल मंच, चकिया के नाम से जाना जायेगा।

बाल मंच के प्रमुख मुददेः–

1. बाल स्वास्थ्य व पोषण के अधिकार की जानकारी और स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं तक बच्चो की पहुच।
2. बालिका स्वास्थ्य अधिकार की जानकारी और स्वास्थ्य व पोषण सेवाओ तक बालिकाओं की पहुच।
3. शिक्षा विकास संस्थाओं से बच्चो का जुड़ाव व नियमितिता।
4. समसामयिक जानकारी का अपडेशन।
5. स्थानीय खेल गतिविधियों के प्रति उत्प्रेरण।
6. विकास प्रक्रियाओ में बच्चो की भागीदारी।

बालक समूहः–

राजस्व ग्राम स्तर पर सभी पुरवों के 6 साल से 18 साल से कम आयु के केवल बालको का एक समूह होगा। जिसे बालक समूह के नाम से जाना जायेगा। यह समूह बाल मंच का सदस्य समूह होगा। इस प्रकार से कुल 22 समूह होगा।

बालिका समूहः–

राजस्व ग्राम स्तर सभी पुरवों के 6 साल से 14 साल के बालिकाओं का एक समूह होगा जिसे बालिका समूह के नाम से जाना जायेगा। यह बालिका समूह परियोजना स्तर पर बाल मंच का सदस्य समूह होगा। इस प्रकार से कुल 22 समूह होगा।

किशोरी समूहः–

राजस्व ग्राम स्तर सभी पुरवों के 14 साल से उपर के अविवाहित बालिकाओं का एक समूह होगा जिसे किशोरी समूह के नाम से जाना जायेगा। यह किशोरी समूह परियोजना स्तर पर बाल मंच का सदस्य समूह होगा। इस प्रकार से कुल 22 समूह होगा।

<u>सदस्यताः–</u>

बालक समूह–

जिस गांव स्तर पर बालक समूह गठित है उस गांव के सभी पुरवों के सभी 6 साल से 18 साल से कम के बालक इस समूह के सदस्य होगे। प्रथम तीन माह कार्यकर्ता हर एक बच्चे को बालक समूह के बारे में जानकारी देगा और बालको को बालक समूह में जोड़ने के लिये पहल करेगा। जिस बालक द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उसका विवरण बालक समूह के रजिस्टर पर अंकित कर दिया जायेगा। जिसमें बालक का नाम, पिता का नाम, आयु, गावं पुरवा का नाम, जाति, कक्षा, विशेष गुण आदि आवश्यक रूप से दर्ज किया जायेगा। सर्वसम्मति से समूह बाल मंच के लिये एक सदस्य का चयन करेगा। जिसे बाल मंच की तिमाही बैठकों में भागीदारी के लिये नामित किया जायेगा। नामित सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वे बाल मंच में भागीदारी कर लिये गये निर्णय से समूह को अवगत करायें।

बालिका समूह–

जिस गाव स्तर पर बालिका समूह गठित है उस गांव में सभी 6 साल से 14 साल से कम आयु के बालिका इस समूह के सदस्य होगीं। प्रथम तीन माह कार्यकर्ता हर एक बालिका को बालिका समूह के बारे मे जानकारी देगा और बालिकाओं को बालिका समूह में जोड़ने के लिये पहल करेगा। जिस बालिका द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उसका विवरण बालिका समूह के रजिस्टर पर अंकित कर दिया जायेगा। जिसमें बालिका का नाम, पिता का नाम, आयु, गावं पुरवा का नाम, जाति, कक्षा, विशेष गुण आदि आवश्यक रूप से दर्ज किया जायेगा। बालिका समूह में राजस्व ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वंय सेवी समुदाय स्वास्थ्य प्रेरक में से एक इस समूह की नामित सदस्य होगी। सर्वसम्मति से समूह बाल मंच के लिये एक सदस्य का चयन करेगा। जिसे बाल मंच की तिमाही बैठकों में भागीदारी के लिये नामित किया जायेगा। नामित सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वे बाल मंच में भागीदारी कर लिये गये निर्णय से समूह को अवगत करायें।

किशोरी समूह–

जिस गांव स्तर पर किशारी समूह गठित है, उस गांव के सभी 14 साल से उपर के अविवाहित बालिका इस समूह के सदस्य होगीं। प्रथम तीन माह कार्यकर्ता हर एक बालिका को किशोरी समूह के बारे मे जानकारी देगा और बालिकाओं को किशोरी समूह में जोड़ने के लिये पहल करेगा। जिस बालिका द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उसका विवरण किशोरी समूह के रजिस्टर पर अंकित कर दिया जायेगा। जिसमें बालिका का नाम, पिता का नाम, आयु, गावं पुरवा का नाम, जाति, कक्षा, विशेष गुण आदि आवश्यक रूप से दर्ज किया जायेगा। किशोरी समूह में राजस्व ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वंय सेवी समुदाय स्वास्थ्य प्रेरक में से एक, इस समूह की नामित सदस्य होगी। सर्वसम्मति से समूह बाल मंच के लिये एक सदस्य का चयन करेगा। जिसे बाल मंच की तिमाही बैठकों में भागीदारी के लिये नामित किया जायेगा। नामित सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वे बाल मंच में भागीदारी कर लिये गये निर्णय से समूह को अवगत करायें।

बाल मंचः– सभी बालक समूह, बालिका समूह व किशोरी समूह के सदस्यगण बाल मंच के नामित सदस्य होगें। बाल मंच के स्तर पर हर समूह से एक सदस्य इस मंच के सदस्य होगें। जो बालक समूह, बालिका समूह व किशोरी समूह द्वारा सर्वसम्मति से बाल मंच के लिये सदस्य के रूप मे चयनित होगें। बाल मंच का एक रजिस्टर होगा जिस पर सदस्यों का पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, आयु, गावं पुरवा का नाम, जाति, कक्षा, विशेष गुण आदि आवश्यक रूप से दर्ज किर्यें जायेगें।

<u>समूह की बैठकेंः–</u>

- **बालक समूह–** बालक समूह की बैठक राजस्व ग्राम स्तर पर माह में एक बार सार्वजनिक स्थान पर आयोजित होगी। प्रथम 3 माह कार्यकर्ता इस बैठक में बैठक के तौर तरीके की जानकारी देगा और समूह को नेतृत्व प्रदान करेगा। अलगे 3 माह सहजकर्ता के रूप में बालक समूह को बैठक के तौर तरीके को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा और प्रशिक्षित

करेगा। आगामी 6 माह कार्यकर्ता हर दूसरे बैठक में सहजकर्ता के रूप में समूह को मार्गदर्शन देगा। एक साल के बाद कार्यकर्ता समूह की तिमाही बैठक मे भागीदारी की भूमिका निभायेगा। समूह की तिमाही बैठक में कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य बच्चो से जुड़े विभाग या कार्यरत लोगो की भागीदारी समूह की बैठकों मे करायें। ताकि बच्चे विकास के पहलुओ को जान व समझ सके और उसमें वे भागीदारी कर सकें।

- **बालिका समूह–** बालिक समूह की बैठक राजस्व ग्राम स्तर पर माह में एक बार सार्वजनिक स्थान पर आयोजित होगी। प्रथम 6 माह कार्यकर्ता इस बैठक में बैठक के तौर तरीके की जानकारी देगा और समूह को नेतृत्व प्रदान करेगा। अलगे 6 माह सहजकर्ता के रूप में बालिक समूह को बैठक के तौर तरीके को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा और प्रशिक्षित करेगा। आगामी 1 साल कार्यकर्ता हर दूसरे बैठक में सहजकर्ता के रूप में समूह को मार्गदर्शन देगा। 2 साल के बाद कार्यकर्ता समूह की तिमाही बैठक मे भागीदारी की भूमिका निभायेगा। राजस्व ग्राम स्तर पर नामित कार्यरत स्वंय सेवी समुदाय स्वास्थ्य प्रेरक भी इन बैठको में भागीदारी करेगीं और समूह के कियाकलाप से समुदाय की कड़ी के रूप में कार्य करेगीं। समूह की तिमाही बैठक में कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य बच्चो से जुड़े विभाग या कार्यरत लोगो की भागीदारी समूह की बैठकों मे करायें। ताकि बच्चे विकास के पहलुओ को जान व समझ सके और उसमें वे भागीदारी कर सकें।

- **किशोरी समूह–** किशोरी समूह की बैठक राजस्व ग्राम स्तर पर माह में एक बार सार्वजनिक स्थान पर आयोजित होगी। प्रथम 3 माह कार्यकर्ता इस बैठक में बैठक के तौर तरीके की जानकारी देगा और समूह को नेतृत्व प्रदान करेगा। अलगे 3 माह सहजकर्ता के रूप में बालिक समूह को बैठक के तौर तरीके को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा और प्रशिक्षित करेगा। आगामी 6 माह कार्यकर्ता हर दूसरे बैठक में सहजकर्ता के रूप में समूह को मार्गदर्शन देगा। 1 साल के बाद कार्यकर्ता समूह की तिमाही बैठक मे भागीदारी की भूमिका निभायेगा। राजस्व ग्राम स्तर पर नामित कार्यरत स्वंय सेवी समुदाय स्वास्थ्य प्रेरक भी इन बैठको में भागीदारी करेगीं और समूह के कियाकलाप से समुदाय की कड़ी के रूप में कार्य करेगी। समूह की तिमाही बैठक में कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य बच्चो से जुड़े विभाग या कार्यरत लोगो की भागीदारी समूह की बैठकों मे करायें। ताकि बच्चे विकास के पहलुओ को जान व समझ सके और उसमें वे भागीदारी कर सकें।

- **बाल मंच की बैठकः–** तिमाही आधार पर बाल मंच की बैठक परियोजना कार्यालय पर आयोजित होगी। इस बैठक में बालक समूह, बालिका समूह और किशोरी समूह के चयनित सदस्य के साथ ही साथ परियोजना के सभी कार्यकर्ता की भागीदारी होगी। इस बैठक का निम्नलिखित एजेण्डा होगाः–

1. गत बैठक के कार्यवाही की पुष्टि।
2. गत माह में किये गये प्लान के कार्य प्रगति की समीक्षा और निर्णय।
3. इस माह की कार्य योजना और जिम्मेदारी का बटवारा।
4. समसामयिक विषय पर परियोजना की एक प्रस्तुति।
5. चर्चा के दौरान उभरे अन्य बिन्दु।

बाल मंच कि तिमाही बैठक में परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि वे बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नेहरू युवा केन्द्र व अन्य बच्चो से जुड़े विभाग या कार्यरत लोगो की भागीदारी बाल मंच की बैठकों मे करायें। ताकि बच्चे विकास के पहलुओ को जान व समझ सके और उसमें वे भागीदारी कर सकें।

बाल मंच का ढ़ाचाः–

बाल मंच का ढ़ाचा इस प्रकार से होगा–

- बाल मंच के लिये चयनित समूहो के नामित सदस्य।
- समूहो के नामित सदस्यो द्वारा बहुमत से बाल मंच का लीडर चुना जायेगा।
- बाल मंच के कुल 5 लीडर चुने जायेगे।
- जिसमें से एक मास्टर लीडर होगा जिसके 5 चुने हुये लीडर के द्वारा चुना जायेगा।
- परियोजना समन्वयक बाल मंच का संयोजक होगा। संस्था द्वारा एक महिला कार्यकर्ता को सह संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

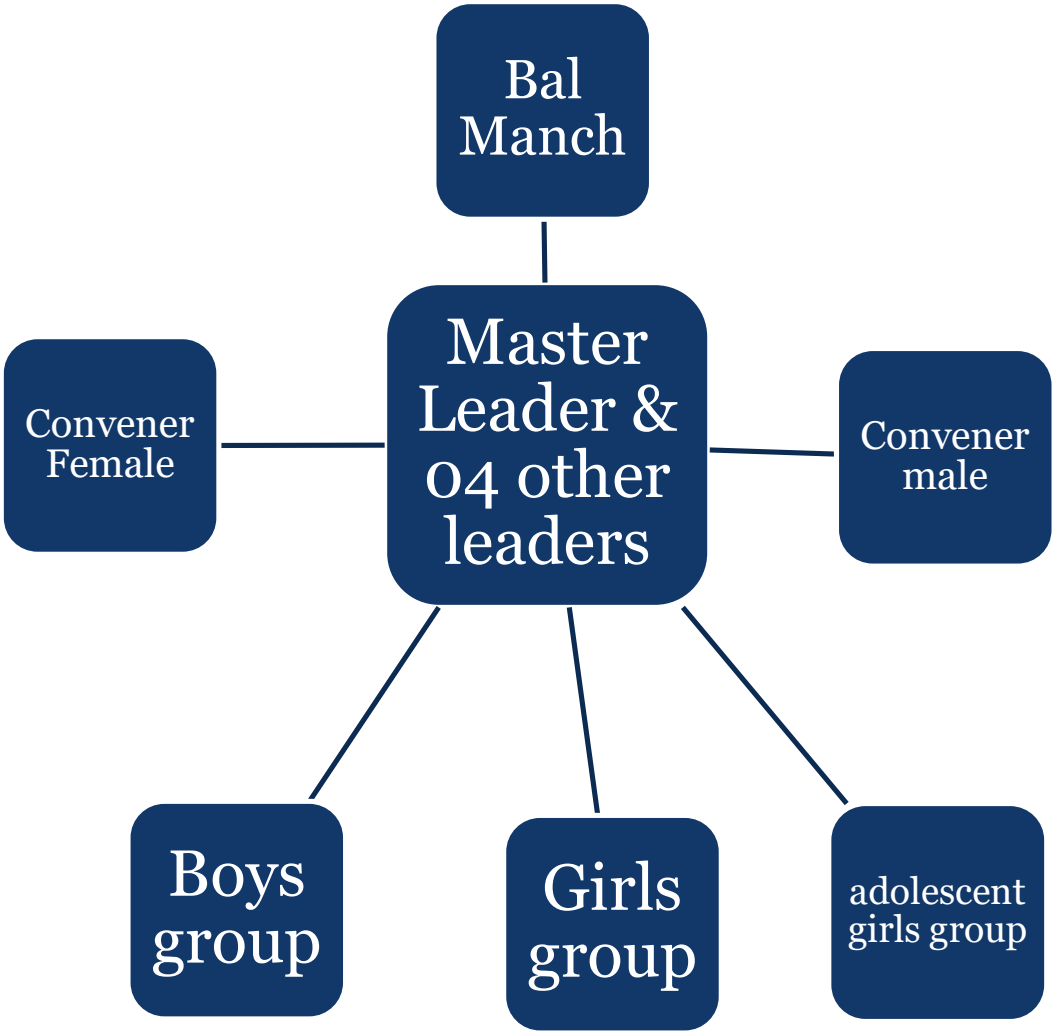

बाल मंच का कोषः–

बच्चो के हित में किये जाने वाले कार्यक्रम के लिये संस्था स्तर पर बाल मंच के लिये एक कोष का सृजन करेगी। इस कोष में समुदायिक स्तर आयोजित बैठकों के माध्यम से दान, चन्दा आदि एकत्र किया जायेगा और बच्चो के बेहतर हित में उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इस कोष की राशि बाल मंच में बैठकों के माध्यम से अनुमोदन के पश्चात की खर्च किया जा सकेगा। वार्षिक आधार पर आय व व्यय का विवरण बाल मंच में साझा कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इस कोष को परियोजना स्तर पर देखरेख व प्रबंधन की जिम्मेदारी बाल मंच के संयोजक की होगी। बाल मंच कोष का एक बही खाता होगा और उसे अपडेट रखा जायेगा।

समूह का ढ़ाचाः–

समूह का ढ़ाचा इस प्रकार से होगा–

- समूहो के सदस्यो द्वारा बहुमत से 2 टीम लीडर को चुना जायेगा।
- परियोजना का ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता समूह का संयोजक होगा और गांव की सीएचएम सह संयोजक होगी।

समूह के लीडर का चयनः–

बाल समूह, बालिका समूह और किशोरी समूह से बाल मंच के लिये लीडर चयन के दौरान निम्नलिखित विन्दुओ पर ध्यान देंगें–

1. जिस सदस्य को चुना जा रहा है वह समूह का सदस्य हो और नियमित रूप से बैठको में भागीदारी का रिकार्ड हो।
2. वह शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हो और स्कूल में नियमित हो।
3. वह समूह में आयु के मामले में सीनीयर हो।
4. वह अपनी बात समूह के सदस्यों के बीच रख लेता हों और बच्चो को समझा लेता हों।
5. शिक्षण के क्षेत्र में अन्य बच्चो से बेहतर हो।
6. सभ्य स्वाभाव और साकारात्मक सोच का हो।
7. समूह में अन्य बच्चों को प्रमोट करता हो।

समूह के लीडर की भूमिकाः–

समूह के लीडर की भूमिका निम्नलिखित रूप में हो सकेगी–

1. समूह के बैठको के संचालन में।
2. समूह के बैठको के सूचना संवाद में।
3. समूह के बैठको में निर्णय लेने के प्रक्रिया में सदस्यों को समझाने में।
4. समूह के द्वारा लिये गये निर्णय को क्रियान्वयन के लिये लीडरशीप के रूप में।
5. समूह के निर्णय के फालोअप में।
6. ग्राम स्तर पर बाल भागीदारी के मुददे पर पहल के रूप में।
7. ग्राम स्तर पर बच्चो को स्वास्थ्य व शिक्षा के सेवाओ से जोड़ने के रूप में।
8. समूह के बैठक की कार्यवाही और रिकार्ड रखरखाव के सम्बंध में।

समूह की गतिविधियां :–

1. मासिक बैठके और बैठको के दौरान–

- बाल अधिकार के मुददो पर कला प्रतियोगिता।
- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता।
- गीत संगीत कार्यक्रम
- नाट्य कार्यक्रम
- ज्ञान वर्धन कार्यक्रम
- क्षमता वर्धन प्रशिक्षण
- अवसरों के बारे में अद्यतन जानकारी
- संकोच उन्मूलन अभ्यास
- स्वास्थ्य व स्वच्छता अभ्यास
- हैण्डवाश अभ्यास
- समसामयिक जानकारी समूह अभ्यास
- सरकारी योजनाओं की समूह अभ्यास
- बाल सुरक्षा पर समूह अभ्यास
- काई के बारे में जानकारी
- रोजा के बारे में जानकारी
- पोषण पर समूह अभ्यास
- बच्चो से जुड़े सरकारी योजनाओ की जानकारी
- जल जनित व जीव जनित बिमारियों की जानकारी व अभ्यास
- स्वास्थ्य के मुददे पर साप सीढ़ी अभ्यास

समूह में खेल गतिविधियांः–

1. फुटबाल मैच।
2. रस्सी प्रतियोगिता

3. कब्बडडी प्रतियोगिता
4. किकेट प्रतियोगिता
5. खो खो प्रतियोगिता

समूह के बैठक मे कार्यकर्ता की भूमिकाः–

समूह की बैठकों में संस्था के कार्यकर्ता की भूमिका सहजकर्ता की होगी। कार्यकर्ता बैठक में समूह के चुने गये लीडर के नेतृत्व में बैठक में लीडर व सदस्यों को बैठक में चर्चा परिचर्चा के लिये प्रोत्साहित करेगा। निर्णय लेने में मदद करेगा और बैठक की कार्यवाही लिखने में दिशा निर्देश प्रदान करेगा। सदस्यो में समूह के संचार को प्रोत्साहित करेगा और समूह के बैठक के एजेण्डे पर पूर्ण चर्चा के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा। समूह में किसी प्रकार के समस्या के सहभागी समाधान में सहजकर्ता की भूमिका निभायेगा। संस्था की ओर से निर्धारित मुददे पर समूह के सदस्यो को जानकारी प्रदान करेगा।

समूह में संस्था की भूमिकाः–

- ❖ समूह में संस्था की भूमिका एक सामाजिक संस्था की होगी जो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिये विकासात्मक प्रक्रियाओं को कार्यकर्ता के माध्यम से बच्चो तक पहुचायेगी।

- ❖ संस्था उन तेज बच्चो को उच्च शिक्षा और तकनीकि शिक्षा से जुड़ाव के लिये डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करेगा। जहां बच्चे अपनी कुशलता और क्षमता में वृद्धि कर सकेगें।

- ❖ जरूरतमंद बच्चो को सरकारी स्वास्थ्य, पोषण की सुविधाओं तक पहुचाने में समूह की सहायता कार्यकर्ता व स्वयं सेवक के माध्यम से करेगी।

- ❖ समूह के चुने हुये बच्चो को संस्था स्वास्थ्य व पोषण चैम्पियन के रूप में ज्ञानवर्धन करेगी और उन्हे इस रूप में विकसित करेगी कि वे गांव में स्वास्थ्य व पोषण विकास में चैम्पियन की भूमिका निभा सके। इसके लिये तिमाही आधार पर बच्चो को प्रशिक्षित करेगी।

- ❖ बच्चो को स्वयं, परिवार और समाज से उपर उठकर देश के विकास में उनकी भूमिकाओं के प्रति शिक्षित करेगी और दूरगामी सोच व सपने के विकास के लिये रचनात्मक पहल करेगी।

- ❖ समाज के कमजोर वर्गो के बच्चो में डर व झिझक को दूर करने के लिये संचार कौशल प्रशिक्षण का आयोजन करेगी। प्रशिक्षित बच्चो के माध्यम से अधिक बच्चो को इस प्रक्रिया से जोड़ेगी।

- ❖ किशोरी बालिकाओं के लिये जीवन कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन कर किशोरियों में संचार कौशल, स्व अनुशासन, साकारात्मक सोच, स्वालम्बन आदि के मुददे पर ज्ञान व क्षमता विकसित किया जायेगा।

- ❖ संस्था कार्यकर्ता के माध्यम से समूह द्वारा चिन्हित मुददों को सम्बंधित सक्षम अधिकारियों तक बच्चो के आवाज/संदेश को पहुचाने में बच्चो को सहयोग प्रदान करेगी।

- ❖ विकास प्रक्रिया के दौरान बच्चो से किसी भी प्रकार के लालच, भ्रामक संदेश, अफवाह, वादा आदि न तो किया जायेगा और ऐसा करने वालों से बच्चो को सचेत किया जायेगा।

गोपनीयताः–

संस्था जे जे अधिनियम 2015 में निर्धारित मानदण्डो का पालन करेगी और बच्चो के मुददे से जुड़ी गोपनीयता का पालन करेगी और कोई भी जानकारी जैसे नाम, पता, सम्पर्क संख्या, फोटो आदि को सार्वजनिक नही करेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था को प्रदान करेगी जिसका जुड़ाव समूह व बाल मंच से नही होगा।

समूह का बाल विकास में भूमिकाः–

समूह सम्पूर्ण बाल विकास के लिये स्वंय से पहल करते हुये गांव के सभी लक्ष्य समूह के बच्चो के भागीदारी के साथ बाल विकास की प्रक्रियाओं का संचालन करेगी और जरूरतमंद बच्चो की पहचान कर उन्हे विकास की योजनाओं और उसके लाभ से जोड़ने के लिये बच्चो और अभिभावको के बीच संचार का काम करेगी। गांव स्तर पर बच्चो के विकास के मुददे पर चिन्हित गैप को संस्था के कार्यकर्ता के साझा करेगी और संस्थागत विकास प्रक्रियाओं में सीखने सीखाने के माध्यम से जुड़ेगी।

समूह का सरकारी योजना के साथ जुड़ावः–

संस्था समूह के योग्यतानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ेगी और उसके अनुरूप बच्चो की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी। बच्चो के विकास के लिये गांव में खेल के मैदान, पुस्तकालय, कम्पयूटर, पार्क, झूला व अन्य बच्चो से जुड़े मुददे की मांग सक्षम अधिकारी से करेगी। इसके साथ ही इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेगी–

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
2. कन्या सुमंगला योजना।
3. शादी अनुदान योजना।
4. उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना।
5. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना
6. स्पांसरसीप योजना
7. महिला हेल्प लाइन
8. आशा ज्योति केन्द्र
9. किशोरियों को टेक होम राशन
10. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
11. मीना मंच
12. सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण
13. जीवन कौशल

14. निशुल्क पाढय पुस्तक व यूनीफार्म
15. निःशुल्क जूता, मोजा एंव बैंग का वितरण
16. निशुल्क स्वेटर वितरण
17. मातृत्व शिशु एंव बालिका मदद योजना
18. निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
19. सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना
20. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
21. कौशल विकास तकनीकि उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
22. कन्या विवाह सहायता योजना
23. आयुष्मान भारत
24. उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना।
25. सबला योजना।
26. महिला एंव बाल सम्मान कोष।
27. बालिका समृद्धि योजना।
28. फोस्टर केयर।
29. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
30. स्कालरसीप।
31. राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना।
32. मीड डे मील योजना।
33. सर्व शिक्षा अभियान।
34. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।

समूह का पंचायत के साथ जुड़ावः–

बच्चो के विकास के क्रम में आवश्यकतानुसार समूह अपने गाव के ग्राम पंचायत से आवश्यक पहलूओं पर पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी और मांग पत्र आदि प्रदान करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम बाल संरक्षण समिति में बाल समूह के 2 बच्चो के प्रतिनिधित्व के लिये आवेदन करेगी और बैठको में सक्रिय भागीदारी का प्रयास करायेगी। बाल संरक्षण के मुददे को लिखित रूप में ग्राम बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही प्रस्तावित ग्राम बाल संरक्षण योजना को भी प्रस्तुत करेगी।

समूह का शिक्षा विकास के साथ जुड़ाव और भूमिकाः–

समूह गांव के उन बच्चो को चिन्हित करेगी जो शिक्षा विकास से बाहर है। चिन्हित बच्चो को समूह के माध्यम से आगनवाड़ी और स्कूल को सूचित करेगी और बच्चे के प्रगति के बारें में समूह की बैठको में चर्चा परिचर्चा कर निर्णय लेगी। गांव में शिक्षा विकास के लिये माहौल तैयार करने में सहयोग करेगी और नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने में बच्चो को तैयार करेगी।

समूह के जो बच्चे शिक्षा में बेहतर है उन्हे अन्य कमजोर बच्चो को अल्पकालिक ट्यूशन आदि प्रदान करने का माहौल बनायेगी और प्रेरित करेगी कि बच्चे कमजोर बच्चो को शिक्षा के प्रगति में सहयोगी बन सके।

समूह के सदस्यो का राष्ट्र निर्माण के कार्यो में सहभागिताः–

संस्था कार्यकर्ता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में समूह की बैठकों में निम्नलिखित मुददे पर संवाद, चर्चा परिचर्चा, गीत, नाटक, अभ्यास कार्य के माध्यम से बच्चो को मार्ग दर्शन प्रदान करेगी–

1. जल संरक्षण।
2. पर्यावरण स्वच्छता।
3. वन संरक्षण।
4. सार्वजनिक सम्पत्यिों का संरक्षण।
5. सड़क के नियमों का पालन।
6. भोजन संरक्षण।
7. सौचालय का उपयोग।
8. उर्जा संरक्षण।
9. स्वयं सेवा।

बाल मंच के नीतियों की समीक्षाः–

संस्था प्रति वर्ष माह दिसम्बर में संस्था स्तर पर और बाल मंच स्तर पर अनुभवों के आधार पर समीक्षा करेगी और सुझाओं के आधार पर नीतियों मे बदलाव करेगी। इस प्रकिया में चाइल्ड राइट एण्ड यू, नई दिल्ली के प्रतिनिधि के सुझावों व मार्गदर्शन के आधार पर अंतिम रूप से एक बदलाव को परियोजना टीम और बाल मंच के साथ साझा करेगी।

मुश्ताक अहमद
मुख्य कार्यकारी
रोजा संस्थान, वाराणसी।
9450156972